<u>विषय सूची</u>

1. परिचय 1
2. धोखाधड़ियों का वर्गीकरण 1
3. धोखाधड़ियों की सूचना भा.रि.बैं. को देना 2
3.1 एक लाख रुपए और उससे कम राशि वाली धोखाधड़ियां 2
3.2 एक लाख रुपए और उससे अधिक परंतु 25 लाख रुपए से कम राशि वाली धोखाधड़ियां 3
3.3 25 लाख रुपए और उससे अधिक राशि वाली धोखाधड़ियां 3
3.4 बेईमान किस्म के उधारकर्ताओं द्वारा की गई धोखाधड़ियां 3
3.5 धोखाधड़ी के प्रयास करने संबंधी मामले 4

4. तिमाही विवरणियां 4
4.1 धोखाधड़ियों के बकाया मामलों के संबंध में रिपोर्ट 4
4.2 धोखाधड़ियों के संबंध में प्रगति रिपोर्ट 5

5. बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करना 5
5.1 धोखाधड़ियों की सूचना देना 5
5.2 धोखाधड़ियों की तिमाही समीक्षा 5
5.3 धोखाधड़ियों की वार्षिक समीक्षा 6

6. पुलिस को धोखाधड़ियों की सूचना देने हेतु दिशा निर्देश 7
7. धोखाधड़ी के मामले बंद करना 8
8. बैंक में चोरी, सेंधमारी, डकैती और लूटमार के मामलों की सूचना देना 8

फार्मेट्स :

एफ एम आर 1 : बैंकों में वास्तविक अथवा संदिग्ध धोखाधड़ियों के संबंध में रिपोर्ट 10
एफ एम आर 2 : बकाया धोखाधड़ियों से संबंधित तिमाही रिपोर्ट 18
एफ एम आर 3 : धोखाधड़ियों के संबंध में तिमाही प्रगति रिपोर्ट 22
एफ एम आर 4 : डकैती/लूटमार/चोरी/सेंधमारी की रिपोर्ट 25

1. परिचय

1.1 बैंकों में धोखाधड़ी, डकैती, लूटमार आदि की होने वाली घटनाएं चिंता का विषय हैं। यद्यपि धोखाधड़ियों को रोकने की प्राथमिक जिम्मेदारी स्वयं बैंकों की है परंतु भारतीय रिजर्व बैंक समय- समय पर बैंकों को धोखाधडी प्रवण प्रमुख क्षेत्रों की तथा उन्हें रोकने के लिए आवश्यक रक्षोपायों की जानकारी देता रहा है । भारतीय रिजर्व बैंक सुकल्पित स्वरूप की ऐसी धोखाधड़ियों के ब्यौरे भी बैंकों को देता रहा है जिसकी सूचना पहले नहीं दी गई है ताकि बैंक उपयुक्त प्रक्रियाओं और आंतरिक नियंत्रणों द्वारा आवश्यक रक्षोपाय प्रारंभ कर सकें । बैंकों को बेईमान किस्म के उधारकर्ताओं तथा उनसे संबंधित पार्टियों की जानकारी भी दी जा रही है ताकि उनसे व्यवहार करते समय बैंक सावधान रह सकें । इस सतत प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए यह आवश्यक है कि बैंक धोखाधड़ियों से संबंधित पूरी जानकारी और उनके द्वारा की गई अनुवर्ती कारवाई से रिज़र्व बैंक को अवगत कराएं। अतःबैंक धोखाधड़ियों के संबंध में सूचना देने के लिए निम्नलिखित परिच्छेदों में निर्दिष्ट की गई सूचना प्रणाली अपनाएं ।

1.2 यह देखा गया है कि प्राय: धोखाधडी हो जाने के काफी समय बाद बैंकों को उसकी जानकारी मिलती है । बहुत बार धोखाधड़ी संबंधी सूचनाएं रिजर्व बैंक को काफी देरी से प्रस्तुत की जाती हैं और वह भी अपेक्षित जानकारी के बिना। कुछ अवसरों पर तो भारतीय रिजर्व बैंक को बडी राशियों से संबंधित धोखाधडियों की जानकारी प्रेस रिपार्टों के माध्यम से ही प्राप्त होती है । अत: बैंकों को चाहिए कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि सूचना- प्रणाली को उपयुक्त रूप से कारगर बनाया गया है ताकि धोखाधड़ियों से संबंधित सूचना अविलंब दी जा सके । बैंकों को चाहिए कि वे धोखाधड़ियों के मामलों की रिजर्व बैंक को सूचना देने में होने वाली देरी के संबंध में स्टाफ को जवाबदेह बनाएं ।

1.3 धोखाधड़ियों से संबंधित सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक को देर से देने और उसके बाद बेईमान उधारकर्ताओं की कार्य-प्रणाली के संबंध में अन्य बैंकों को सतर्क करने और उनके विरुद्ध सावधानी सूचनाएं जारी करने में देरी होने से इसी प्रकार की धोखाधड़ियां किसी अन्य स्थान पर भी हो सकती हैं । अत: बैंकों को चाहिए कि वे रिजर्व बैंक को धोखाधड़ियों के मामलों की सूचना देने के लिए इस परिपत्र में निर्धारित समय सीमा का कड़ाई से पालन करें अन्यथा उनके विरुद्ध बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों के लिए यथा लागू) की धारा 47 (क) के अंतर्गत निर्दिष्ट दंडात्मक कारवाई की जाएगी ।

1.4 बैंकों को चाहिए कि वे किसी वरिष्ठ अधिकारी को विशेष रूप से इस बात के लिए नामित करें कि वह इस परिपत्र में दी गई सभी विवरणियों को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हो ।

2. धोखाधड़ियों का वर्गीकरण

2.1 धोखाधड़ियों के मामलों की सूचना देने में एकरूपता लाने के लिए धोखाधड़ियों को, भारतीय दंड संहिता के उपबंधों के आधार पर निम्नलिखित अनुसार वर्गीकृत किया गया है :

(क) दुर्विनियोजन और आपराधिक विश्वास भंग ।

(ख) जाली लिखतों, लेखा-बहियों में हेर-फेर अथवा बेनामी खातों के जरिये कपटपूर्ण नकदीकरण और संपत्ति का परिवर्तन ।

(ग) पुरस्कृत करने अथवा अवैध तुष्टीकरण के लिए दी गयी अनधिकृत ऋण सुविधाएं ।

(घ) लापरवाही और नकदी की कमी ।

(ङ) छल और ज़ालसाजी ।

(च) विदेशी मुद्रा लेनदेनों में अनियमितताएं ।

(छ) अन्य किसी प्रकार की धोखाधड़ी, जो उक्त किसी विशिष्ट शीर्ष के अंतर्गत शामिल न हो ।

2.2 ऊपर मद (घ और च) में उल्लिखित 'लापरवाही और नकदी की कमी' तथा 'विदेशी मुद्रा लेनदेनों में अनियमितताओं' के मामलों को तभी धोखाधड़ी के रूप में सूचित किया जाए जब छल करने/धोखा देने के इरादों का संदेह हो/इरादा साबित हो गया हो। नकदी संबंधी कार्य करने वाले व्यक्तियों द्वारा उसी दिन 1,000 रुपए तक हुई नकदी की कमी के ऐसे मामलों को धोखाधड़ी के रूप में सूचित न किया जाए, जहां धोखाधड़ी का कोई संदेह न हो। तथापि 1,000 रुपए से अधिक की नकद राशि की कमी के मामलों तथा प्रबंध-तंत्र/निरीक्षण अधिकारी द्वारा पाए गए मामलों को, चाहे उनकी राशि कितनी भी हो, धोखाधड़ी के रूप में सूचित किया जाए ।

2.3 एकरूपता सुनिश्चित करने तथा दोहरेपन से बचने के लिए फर्जी/हेरा-फेरी किए गए (forged) लिखतों से संबंधित धोखाधड़ियों की सूचना केवल अदाकर्ता बैंकर द्वारा ही दी जाए , वसूली बैंकर द्वारा नहीं । फिर भी, उन लिखतों के संग्रहण के मामलों में, जो सच्चे (genuine) हैं लेकिन जिनका संग्रहण धोखाधड़ीपूर्वक उन लोगों द्वारा किया गया है, जो उनके वास्तविक मालिक नहीं हैं, उस वसूली कर्ता बैंक द्‌वारा रिज़र्व बैंक रिपोर्ट की जानी चाहिए, जो धोखाधड़ी का शिकार हुआ है ।

2.4 चोरी, सेंधमारी, डकैती और लूटमार के मामलों की सूचना धोखाधड़ी के रूप में न दी जाए । ऐसे सभी मामले पैरा 8 में दिए गए ब्यौरे के अनुसार अलग से सूचित किए जाएं ।

3. धोखाधड़ियों की सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक को देना

3.1 एक लाख रुपए से कम राशि वाली धोखाधड़ियां

एक लाख रुपए से कम राशि वाली धोखाधड़ियों के मामलों की सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक को अलग से नहीं प्रस्तुत की जाए । परंतु ऐसी धोखाधड़ियों के संबंध में सांख्यकीय आंकडे परिच्छेद 4.1 में उल्लिखित तिमाही विवरण में रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

3.2 एक लाख रुपए और उससे अधिक परंतु 25 लाख रुपए से कम राशि वाली धोखाधड़ियां

एक लाख रुपए या उससे अधिक परंतु 25 लाख रुपए से कम राशि वाले धोखाधड़ी के अलग-अलग मामलों की रिपोर्ट एफएमआर-1 में दिए गए फॉर्मेंट में, धोखाधड़ी का पता चलने के तीन सप्ताह के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक, शहरी बैंक विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को भेजी जाएं जिसके क्षेत्राधिकार में बैंक का प्रधान कार्यालय आता है ।

3.3 25 लाख रुपए और उससे अधिक राशि वाली धोखाधड़ियां

3.3.1 25 लाख रुपए या उससे अधिक राशि वाले धोखाधड़ी के अलग-अलग मामलों की सूचना, धोखाधड़ी निगरानी कक्ष, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, विश्व व्यापार केंद्र, केंद्र 1, कफ परेड, कोलाबा, मुंबई 400 005 को एफएमआर-1 में दिए गए फार्मेट में धोखाधड़ी का पता लगने की तारीख से तीन सप्ताह के अंदर भेजी जानी चाहिए । एफएमआर- 1 की एक प्रतिलिपि भारतीय रिज़र्व बैंक, शहरी बैंक विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करें , जिसके क्षेत्राधिकार में बैंक का प्रधान कार्यालय आता है ।

3.3.2 उपर्युक्त पैराग्राफ 3.3.1 में उल्लिखित अपेक्षा के अलावा बैंक, धोखाधड़ियों की सूचना प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय को संबोधित अर्धशासकीय पत्र के द्वारा बैंक के प्रधान कार्यालय की जानकारी में आने के एक सप्ताह के अंदर दें । उक्त पत्र में ऐसी धोखाधड़ी का संक्षिप्त विवरण, जैसे धोखाधड़ी की राशि, उसका स्वरूप, संक्षेप में धोखाधड़ी की कार्यप्रणाली, शाखा/कार्यालय का नाम, शामिल पार्टियों के नाम (यदि वे स्वामित्व वाली/साझेदारी संस्थाएं या प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हों तो स्वामियों, साझीदारों और निदेशकों के नाम) उक्त धोखाधड़ी में शामिल अधिकारियों के नाम और यह सूचना देनी चाहिए कि पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है या नहीं । उक्त अर्धशासकीय पत्र की एक प्रति भारतीय रिज़र्व बैंक के शहरी बैंक विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को भी परांकित की जानी चाहिए, जिसके अधिकार क्षेत्र में बैंक की उक्त शाखा कार्यरत है, जिसमें धोखाधड़ी की घटना हुई है ।

3.4 बेईमान किस्म के उधारकर्ताओं द्वारा की गई धोखाधड़ियां

3.4.1 यह देखा गया है कि बड़ी संख्या में धोखाधड़ियां बेईमान किस्म के उधारकर्ताओं द्वारा, जिनमें कंपनियां, भागीदारी फर्में/स्वामित्व वाली संस्थाएं और/अथवा उनके निदेशक/भागीदार शामिल हैं, निम्नलिखित सहित विभिन्न तरीकों से की जाती हैं :

(i) लिखतों की कपटपूर्ण भुनाई अथवा समाशोधन में काइट फ्लाइंग ।

(ii) बैंक की जानकारी के बिना गिरवी रखे गए स्टॉक को कपटपूर्ण ढंग से हटाना/दृष्टिबंधक रखे गए स्टॉक को बेचना/स्टॉक विवरण में स्टॉकों का मूल्य बढ़ाकर दर्शाना तथा अतिरिक्त बैंक वित्त का आहरण ।

(iii) निधियों का विपथन (डायवर्ज़न),उधारकर्ताओं, उनके भागीदारों आदि के स्तर पर वित्तीय अनुशासन के प्रति रुचि का अभाव अथवा आपराधिक उपेक्षा तथा दुर्भावना के उद्देश्य से प्रबंधन में चूक के कारण इकाई का रुग्ण होना और बैंक कर्मियों के स्तर पर उधार खातों में होने वाले परिचालनों पर प्रभावी पर्यवेक्षण में कमी के कारण अग्रिमों की वसूली में कठिनाई होना, जिससे बैंक को वित्तीय हानि होती है ।

3.4.2 5लाख रुपये और उससे अधिक की राशि के उधार खातों में धोखाधड़ियों के संबंध में एफ एम आर-1 के भाग 'बी' के तहत यथा निर्धारित अतिरिक्त जानकारी भी प्रस्तुत की जाए।

3.5 धोखाधडी के प्रयास संबंधी मामले

धोखाधड़ी का प्रयास करने संबंधी ऐसे मामले, जहां यदि धोखाधड़ी हो गई होती तो 25लाख रुपए या अधिक हानि हो सकती थी तो ऐसी धोखाधड़ियों की सूचना, उनकी आपराधिक कार्य प्रणाली तथा प्रयास की गई उक्त धोखाधडी का पता कैसे लगा, इसके बारे में उल्लेख करते हुए धोखाधड़ी निगरानी कक्ष, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैकिंग पर्यवेक्षण विभाग, केन्द्रीय कार्यालय को दी जानी चाहिए । ऐसे मामले रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की जाने वाली अन्य विवरणियों में शामिल नहीं किए जाने चाहिए ।

4. तिमाही विवरणियां

4.1 धोखाधड़ियों के बकाया मामलों पर रिपोर्ट (एफएमआर-2)

4.1.1 बैंकों को चाहिए कि वे एफएमआर-2 में दिए गए फार्मेट में धोखाधड़ियों के बकाया मामलों की तिमाही रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि संबंधित तिमाही की समाप्ति के 15 दिन के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय को, जिसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत बैंक का प्रधान कार्यालय कार्यरत है, प्रस्तुत करें। जिन बैंकों के पास तिमाही की समाप्ति पर धोखाधड़ियों के कोई बकाया मामले न हों, वे **कुछ नहीं** रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

4.1.2 रिपोर्ट के भाग-क में तिमाही के अंत में धोखाधड़ियों के बकाया मामले शामिल किए जाते हैं । रिपोर्ट के भाग ख तथा ग में तिमाही के दौरान रिपोर्ट की गई धोखाधड़ियों के क्रमश: श्रेणी-वार तथा अपराधी-वार विवरण दिए जाते हैं। भाग ख तथा ग में दर्शाए गए अनुसार तिमाही के दौरान रिपोर्ट किए गए

धोखाधड़ियों के मामलों की कुल संख्या तथा राशि रिपोर्ट के भाग-क के कालम सं.4 तथा 5 के कुल जोड़ से मेल खानी चाहिए ।

4.1.3 उपर्युक्त रिपोर्ट के भाग के रूप में बैंक, इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि तिमाही के दौरान एफएमआर-1 में रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट किए गए एक लाख रुपए तथा उससे अधिक के धोखाधड़ी के सभी व्यक्तिगत मामले भी बैंक के बोर्ड के समक्ष रखे गए हैं तथा एफएमआर-2 के भाग क (कालम 4 तथा 5) एवं भाग ख तथा ग में शामिल किए गए हैं ।

4.2 धोखाधड़ियों के संबंध में प्रगति रिपोर्ट (एफएमआर-3)

4.2.1 बैंकों को चाहिए कि वे एक लाख रुपए और उससे अधिक की राशि की धोखाधड़ियों के संबंध में मामले-वार तिमाही प्रगति रिपोर्ट एफएमआर-3 में दिए गए फार्मेट में संबंधित तिमाही की समाप्ति के 15 दिन के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक, शहरी बैंक विभाग, के उस क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करें, जिसके अधिकार क्षेत्र में बैंक का प्रधान कार्यालय स्थित है ।

4.2.2 जिन धोखाधड़ियों के मामले में तिमाही के दौरान कोई प्रगति नहीं हुई हो, ऐसे मामलों की एक सूची, शाखा का नाम तथा सूचना देने की तारीख के संक्षिप्त विवरण सहित, एफएमआर-3 के भाग ख में प्रस्तुत करें ।

4.2.3 जिन बैंकों में एक लाख रुपये और उससे अधिक की राशि की धोखाधड़ियों का कोई भी मामला बकाया नहीं है वे **कुछ नहीं** रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

5.बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करना

5.1 धोखाधड़ियों की सूचना देना

5.1.1 बैंक यह सुनिश्चित करें कि सभी धोखाधड़ियों का पता लगने के तुरंत बाद उनकी सूचना बोर्डों को दी जाती है ।

5.1.2 ऐसी रिपोर्टों में अन्य बातों के साथ-साथ संबंधित शाखा अधिकारियों तथा नियंत्रक प्राधिकारियों के स्तर पर हुई चूकों का उल्लेख किया जाए तथा धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई प्रारंभ किए जाने के लिए विचार किया जाए ।

5.2 धोखाधड़ियों की तिमाही समीक्षा

5.2.1 मार्च, जून तथा सितंबर को समाप्त तिमाहियों के लिए धोखाधड़ियों से संबंधित सूचना संबंधित तिमाही के अगले माह के दौरान निदेशक बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाए ।

5.2.2 इनके साथ अनुपूरक सामग्री होनी चाहिए, जिसमें सांख्यिकीय सूचना और प्रत्येक धोखाधड़ी के ब्यौरों का विश्लेषण किया गया हो ताकि बोर्ड के पास धोखाधड़ियों के दंडात्मक और निवारक पहलुओं के संबंध में कारगर रूप से योगदान करने के लिए पर्याप्त सामग्री हो ।

5.2.3 दिसंबर में वर्ष की समाप्ति पर, नीचे निर्धारित वार्षिक समीक्षा के मद्देनज़र दिसंबर के साथ समाप्त तिमाही के लिए अलग से समीक्षा की आवश्यकता नहीं है ।

5.3 धोखाधड़ियों की वार्षिक समीक्षा

5.3.1 बैंकों को चाहिए कि वे धोखाधड़ियों की वार्षिक समीक्षा करें तथा निदेशक बोर्ड के समक्ष जानकारी देने के लिए नोट प्रस्तुत करें । दिसंबर को समाप्त वर्ष के लिए समीक्षाएं अगले वर्ष के मार्च की समाप्ति के पहले बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाएं ।

5.3.2 ऐसी समीक्षा करते समय ध्यान में रखे जाने वाले प्रमुख पहलुओं में निम्नलिखित मुद्दे शामिल किये जाएं :

(क) क्या एक बार धोखाधड़ी हो जाने पर कम से कम समय में उस का पता लगाने के लिए बैंक में विद्यमान प्रणालियां पर्याप्त है ?

(ख) क्या धोखाधड़ियों की स्टाफ की दृष्टि से जांच की जाती है और जहां कहीं आवश्यक है, वहां बिना किसी अनुचित देरी के स्टाफ के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है ?

(ग) क्या जहां कहीं उपयुक्त पाया गया वहां बिना किसी अनुचित देरी के जिम्मेदार पाये गये व्यक्तियों के लिए निवारक सजा दी गई ?

(घ) क्या धोखाधड़ियां, प्रणालियों और क्रियाविधियों का पालन करने में शिथिलता या प्रणाली में खामियों के कारण हुईं और यदि ऐसा है तो क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कारगर कार्रवाई की गयी कि संबंधित स्टाफ द्वारा प्रणालियों और क्रियाविधियों का पूरी सावधानी से पालन किया जाता है या खामियों को दूर किया जाता है।

(ङ) क्या धोखाधड़ियों के बारे में, स्थानीय पुलिस जांच-पड़ताल के लिए सूचना दी गई है।

5.3.3 वार्षिक समीक्षाओं में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित ब्यौरे भी शामिल होने चाहिएः

(क) वर्ष के दौरान पता लगी कुल धोखाधड़ियां तथा पिछले दो वर्ष की तुलना में उनमें फंसी हुई राशि।

(ख) पैरा 2.1 में दी गई विभिन्न श्रेणियों के अनुसार धोखाधड़ियों का विश्लेषण तथा बकाया धोखाधड़ियों के संबंध में तिमाही रिपोर्ट में उल्लिखित विभिन्न कारोबारी क्षेत्रों का भी विश्लेषण (एफएमआर-2 के अनुसार)।

(ग) वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई मुख्य-मुख्य धोखाधड़ियों की वर्तमान स्थिति सहित उनकी आपराधिक कार्य-प्रणाली।

(घ) एक लाख रुपए और उससे अधिक राशि वाली धोखाधड़ियों का ब्यौरे-वार विश्लेषण।

(ङ) वर्ष के दौरान धोखाधड़ियों के कारण बैंक को हुई अनुमानित हानि, वसूल हुई राशि तथा किए गए प्रावधान।

(च) जहां स्टाफ शामिल है,ऐसे मामलों की संख्या (राशि सहित) एवं उनके खिलाफ की गई कार्रवाई।

(छ)धोखाधड़ी के मामलों का पता लगाने में लगा समय (धोखाधड़ी होने के तीन महीने, छह महीने, एक वर्ष, एक वर्ष से अधिक के भीतर पता लगाये गये मामलों की संख्या)।

(ज) पुलिस को रिपोर्ट की गई धोखाधड़ियों की स्थिति।

(झ) धोखाधड़ी के ऐसे मामलों की संख्या जिनमें बैंक द्वारा अंतिम कार्रवाई हो गयी है और मामले निपटा दिए गए हैं।

(ञ) धोखाधड़ी की घटनाओं में कमी करने/उन्हें न्यूनतम रखने के लिए बैंक द्वारा

वर्ष के दौरान किये गये निवारक/दण्डात्मक उपाय। क्या कमजोरियों को दूर किया गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रणालियों और क्रियाविधियों की जांच की गई है ।

6. पुलिस को धोखाधड़ियों की सूचना देने हेतु दिशा-निर्देश

अवैध तुष्टीकरण के लिए बैंक द्वारा दी गयी अनधिकृत ऋण सुविधाएँ, लापरवाही और नकदी कम हो जाने, छल, जालसाजी आदि जैसी धोखाधड़ियों के संबंध में बैंकों को राज्य पुलिस अधिकारियों को सूचित करने के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिएः

(क) धोखाधड़ियों / गबन के मामलों पर कार्रवाई करते हुए बैंकों को, मात्र संबंधित राशि के शीघ्र वसूल करने के लिए ही प्रेरित नहीं होना चाहिए बल्कि उन्हें लोक-हित से और यह सुनिश्चित करने के लिए भी प्रेरित होना चाहिए कि दोषी व्यक्ति दण्डित हुए बिना नहीं छूटे।

(ख) अतः सामान्य नियमानुसार निम्नलिखित मामले अनिवार्यतः राज्य पुलिस के पास भेजे जाने चाहिएः

(i) बाहरी व्यक्तियों द्वारा स्वयं तथा /या बैंक के स्टाफ / अधिकारियों की सांठ-गांठ से बैंक में एक लाख रुपये या उससे अधिक की राशि के धोखाधड़ी के मामले।

(ii) बैंक के कर्मचारियों द्वारा किये गय धोखाधड़ी के मामले, जिनमें 10,000 रुपये से अधिक की बैंक निधियां शामिल हों।

7. धोखाधड़ी के मामलों को बंद करना

बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के शहरी बैंक विभाग के उस संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को, जिसके अधिकार क्षेत्र में बैंक का प्रधान कार्यालय आता है, बंद किये गये धोखाधड़ी के मामलों और जहां आगे कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है वहां बंद किये जाने के कारणों के ब्यौरे सूचित करेंगे । तिमाही के दौरान बंद किये गये धोखाधड़ी के मामलों की सूचना तिमाही विवरणी एफएमआर-2 में दी जानी है ।

बैंकों को चाहिए कि वे धोखाधड़ी के केवल ऐसे मामलों की सूचना दें जहां नीचे निर्दिष्ट कार्रवाई पूरी हो गयी है :

अ. पुलिस के पास/न्यायालय में लंबित धोखाधड़ी के ऐसे मामले जो अंतत: निपटा दिये गये।

आ. स्टाफ की जिम्मेदारी की जांच पूरी हो गयी है ।

इ. धोखाधड़ी में शामिल राशि वसूल कर ली गयी है या बट्टे खाते डाल दी गयी है।

ई. जहां कहीं लागू है वहा बीमा दावों का निपटान कर दिया गया है ।

उ. बैंक ने प्रणालियों और क्रियाविधियों की समीक्षा कर ली है, कारक तत्वों का पता लगा लिया है तथा जहां कमियां हैं उन्हें दूर कर दिया है और इस तथ्य को बोर्ड ने प्रमाणित कर दिया है ।

बैंकों को चाहिए कि वे बकाया मामलों में, विशेष रूप से जहां स्टाफ के संदर्भ में कार्रवाई पूरी कर ली है, पुलिस/न्यायालय के साथ अंतिम निपटान के लिए प्रभावशाली ढंग से कार्रवाई करें ।

8. बैंक में चोरी, सेंधमारी, डकैती और लूटमार के मामलों की सूचना देना

8.1 बैंकों को चाहिए कि वे बैंक में लूटमारी, डकैती, चोरी तथा सेंधमारी की घटनाओं की रिपोर्ट, उनके होने पर तत्काल फैक्स/ई-मेल द्वारा निम्नलिखित प्रधिकारियों को देने की व्यवस्था करें। इस रिपोर्ट में घटना की कार्यप्रणाली के विवरण तथा अन्य सूचना एफएमआर-4 के स्तंभ 1 से 11 के अनुसार होनी चाहिए।

(क) प्रभारी-मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, शहरी बैंक विभाग,

केंद्रीय कार्यालय, गारमेंट हाउस, वर्ली, मुंबई 400 018 ।

(ख) इसकी एक प्रति राज्य के भारतीय रिज़र्व बैंक, शहरी बैंक विभाग के उस संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को परांकित की जाए, जिसके अधिकार क्षेत्र में डकैती हुई हो ।

8.2 बैंकों को शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय को, जिसके अधिकार क्षेत्र में बैंक का प्रधान कार्यालय स्थित है, तिमाही से संबंधित सभी मामलों को शामिल करते हुए एफएमआर -4 में दिए गए फार्मेट में तिमाही समेकित विवरण भी प्रस्तुत करना चाहिए। यह संबंधित तिमाही की समाप्ति से 15 दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

8.3 जिन बैंकों में तिमाही के दौरान रिपोर्ट किए जाने हेतु चोरी,सेंधमारी,डकैती तथा/या लूटमारी की कोई घटनाएं नहीं हुई हैं, वे ***कुछ नहीं*** रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

एफएमआर - 1

बैंकों में वास्तविक अथवा संदिग्ध धोखाधड़ियों के संबंध में रिपोर्ट
(देखें पैराग्राफ 3)

भाग क : धोखाधड़ी संबंधी रिपोर्ट

1	बैंक का नाम		
2	धोखाधड़ी संख्या [1]		
3	शाखा का ब्यौरा [2] -		
	(क)	शाखा का नाम	
	(ख)	शाखा का प्रकार	
	(ग)	स्थान	
	(घ)	ज़िला	
	(ङ)	राज्य	
4	मुख्य पार्टी / खाते का नाम [3]		
5	(क)	वह परिचालन क्षेत्र जिसमें धोखाधड़ी हुई है [4]	
	(ख)	क्या धोखाधड़ी उधार खाते में हुई	हां / नहीं
6		धोखाधड़ी का स्वरूप [5]	
7	धोखाधड़ी की कुल राशि [6] (लाख रुपयों में)		
8	(क)	धोखाधड़ी होने की तारीख [7]	

	(ख)	पता लगने की तारीख [8]	
	(ग)	धोखाधड़ी का पता लगने में हुए विलंब , यदि कोई हो, के कारण	
	(घ)	भारिबैं को सूचित करने की तारीख [9]	
	(ड़)	भारिबैं को धोखाधड़ी की सूचना देने में हुई देरी, यदि कोई हो, के कारण	
9	(क)	संक्षिप्त इतिहास	
	(ख)	कार्यप्रणाली (संक्षेप तथा स्पष्ट रूप से)	
10	यह धोखाधड़ी निम्नलिखित में से किसने की -		
	(क)	स्टाफ	हां / नहीं
	(ख)	ग्राहक	हां / नहीं
	(ग)	बाहर के लोग	हां / नहीं
11	(क)	क्या नियंत्रक कार्यालय (क्षेत्रीय / आंचलिक) शाखा द्वारा प्रस्तुत नियंत्रक विवरणियों की संवीक्षा से धोखाधड़ी का पता लगा सका ?	हां / नहीं
	(ख)	क्या सूचना प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है ?	हां / नहीं
12	(क)	क्या शाखा (शाखाओं) में	हां / नहीं *

		पहली बार यह धोखाधड़ी होने की तारीख और उसका पता चलने के बीच की अवधि के दौरान आंतरिक निरीक्षण / लेखा-परीक्षा (समवर्ती लेखा-परीक्षा सहित) की गई थी ।	
	(ख)	यदि हां, तो ऐसे निरीक्षण / लेखा-परीक्षा के दौरान धोखाधड़ी का पता क्यों नहीं चला ?	
	(ग)	ऐसे निरीक्षण / लेखा-परीक्षा में धोखाधड़ी का पता न लगा सकने पर क्या कार्रवाई की गई ?	
13	की गई / प्रस्तावित कार्रवाई -		
	(क)	पुलिस / अन्वेषण एजेंसी में शिकायत -	
		(i) क्या पुलिस / अन्वेषण एजेंसी के पास कोई शिकायत दर्ज़ कराई गई है ?	हां / नहीं
		(ii) यदि हां, तो अन्वेषण एजेंसी / पुलिस कार्यालय / शाखा का नाम -	
		(1) मामला सूचित करने की तारीख	
		(2) मामले की वर्तमान स्थिति	
		(3) जांच पूरी होने की तारीख	
		(4) (i) पुलिस /	

अन्वेषण एजेंसी द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख

(ii) यदि पुलिस / अन्वेषण एजेंसी में रिपोर्ट नहीं की गई तो उसके कारण	

(ख) सहकार न्यायालय / न्यायालय में वसूली संबंधी वाद -

(i) वाद दायर करने की तारीख	
(ii) वर्तमान स्थिति	

(ग) बीमा संबंधी दावा -

(i) क्या किसी बीमा कंपनी में कोई दावा दाखिल किया गया है	हां / नहीं
(ii) यदि नहीं, तो उसके कारण	

(घ) स्टाफ संबंधी कार्रवाई का ब्यौरा -

(i) क्या कोई आंतरिक अन्वेषण किया गया है / प्रस्तावित है ?	
(ii) यदि हां, तो जांच पूरी होने की तारीख	
(iii) क्या कोई विभागीय जांच की गई है/प्रस्तावित है ?	
(iv) यदि हां, तो नीचे दिए गए फॉर्मेट के अनुसार ब्यौरा	

दें :

(v) यदि नहीं, तो उसके कारण

सं.	नाम	पदनाम	क्या निलंबित किया गया	आरोप-पत्र जारी करने की तारीख	आंतरिक जांच शुरू करने की तारीख	जांच पूरी होने की तारीख	अंतिम आदेश जारी करने की तारीख	दिया गया दंड	अभियोजन / सज़ा / रिहाई, आदि का ब्यौरा

(ङ) ऐसी घटनाओं से बचने के लिए उठाये गए / प्रस्तावित कदम

14 (क) वसूल की गई कुल राशि -

(i) संबंधित पार्टी / पार्टियों से वसूल की गई राशि

(ii) बीमा से

(iii) अन्य स्त्रोतों से

(ख) बैंक को हुई हानि की मात्रा

(ग) किया गया प्रावधान

(घ) बट्टे खाते लिखी गई राशि

15 भा रि बैं के विचारार्थ सुझाव

- लेखा-परीक्षा के प्रकार (आंतरिक/सांविधिक/समवर्ती) का स्पष्ट उल्लेख करें ।

भाग ख : उधार खातों में धोखाधड़ी संबंधी अतिरिक्त जानकारी

(इस भाग को 5 लाख रुपए और उससे अधिक की राशि के सभी उधार खातों में हुई धोखाधड़ियों के संबंध में भरा जाए)

1. (क) उस पार्टी के कारोबार का पता, जिसके खाते में धोखाधड़ी हुई है

(ख) स्वामियों/साझेदारों/निदेशकों के नाम और पते

सं.	स्वामी/साझेदारों/ निदेशकों के नाम	पता

2. खाते/तों के ब्यौरे

सं.	खाते का स्वरूप	मंजूरी की तारीख	स्वीकृत सीमा	बकाया शेष

3.सहायक संस्थाओं के ब्यौरे

सं.	सहायक संस्था का नाम और पता	स्वामी/साझेदार/निदेशक का नाम	स्वामी/साझेदार/निदेशक का पता

धोखाधड़ी रिपोर्ट (एफएमआर-1) संकलित करने के अनुदेश :

1 धोखाधड़ी संख्या : इसे कंप्यूटरीकरण और प्रति संदर्भ संबंधी सुविधा प्रदान करने को मद्देनज़र रखते हुए प्रारंभ किया गया है । संख्या अल्फान्यूमेरिक फील्ड होगी जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे : चार अक्षर (बैंक का नाम दर्शाने के लिए), वर्ष के लिए दो अंक (02, 03 आदि), तिमाही के लिए दो अंक (जनवरी-मार्च तिमाही के लिए 01, आदि) और अंतिम चार अंक, जो तिमाही में सूचित की गई धोखाधड़ी के लिए विशिष्ट चालू कूटांक होंगे ।

2 शाखा का नाम : यदि धोखाधड़ी एक से अधिक शाखा से संबंधित हो तो केवल किसी एक ऐसी शाखा का नाम दर्शाएं जहां पर धोखाधड़ियों में शामिल राशि सबसे अधिक हो और / अथवा जो मुख्यत: धोखाधड़ी के संबंध में मुख्य रूप से अनुवर्ती कार्रवाई कर रही हो । अन्य शाखाओं के नाम मद सं.9 के सामने संक्षिप्त इतिहास / कार्यप्रणाली में दर्शाए जाएं ।

3 पार्टी का नाम : धोखाधड़ी की पहचान करने के लिए सुस्पष्ट नाम दिया जाए । उधार खातों में होने वाली धोखाधड़ियों के मामले में, उधारकर्ताओं के नाम दिये जाएं। कर्मचारियों द्वारा की गई धोखाधड़ियों के मामले में, धोखाधड़ी की पहचान करने के लिए कर्मचारी / कर्मचारियों का / के नाम / नामों को प्रयोग में लाया जा सकता है । जहां धोखाधड़ी समाशोधन खाते / अंतर-शाखा आदि में हुई हो और धोखाधड़ी में शामिल किसी कर्मचारी विशेष का शामिल होना तत्समय पहचान पाना संभव न हो तो उसे केवल "समाशोधन / अंतर-शाखा खाते में धोखाधड़ी " के रूप में ही माना जाए ।

4 वह परिचालन क्षेत्र जहां धोखाधड़ी हुई है : विवरण एफएमआर-2 (भाग क) के कॉलम 1 में दिए गए संबद्ध क्षेत्र दर्शाएं [नकदी; जमा (बचत / चालू / मीयादी); अनिवासी खाते; अग्रिम (नकद ऋण / मीयादी ऋण / बिल / अन्य); विदेशी मुद्रा लेन-देन; अंतर-शाखा खाते; चेक /मांग ड्राफ्ट, आदि; समाशोधन, आदि, खाते; तुलन-पत्र से इतर (साख पत्र / गारंटी / सह-स्वीकृति, अन्य ऋण; अन्य]।

5 धोखाधड़ी का स्वरूप : निम्नलिखित में से उस संबद्ध श्रेणी की संख्या चुनें जो धोखाधड़ी के स्वरूप का सबसे अधिक सटीक वर्णन करती हो : (1) दुर्विनियोजन और आपराधिक विश्वास भंग, (2) जाली लिखतों, लेखा-बहियों में हेर-फेर अथवा बेनामी खातों के जरिए कपटपूर्ण नकदीकरण और संपत्ति का परिवर्तन, (3) पुरस्कार स्वरूप अथवा अवैध तुष्टीकरण के लिए दी गई अनधिकृत ऋण सुविधाएं । (4) लापरवाही और नकदी में कमी (5) छल और जालसाज़ी (6) विदेशी मुद्रा संबंधी लेन-देनों में अनियमितताएं (7) अन्य ।

6 धोखाधड़ी की कुल राशि : सभी स्थानों पर राशि को दशमलव मे दो अंकों तक लाख रुपए में दर्शाया जाए ।

7 धोखाधड़ी होने की तारीख : यदि धोखाधड़ी होने की सही तारीख़ को बता पाना कठिन हो (उदाहरण के रूप में, यदि किसी अवधि के दौरान थोड़ी-थोड़ी करके धोखाधड़ी की रकम निकाली गई हों, अथवा यदि उधारकर्ता का विशिष्ट व्यवहार, जो बाद में गलत पाया गया हो, की वास्तविक तारीख सुनिश्चित करना संभव न हो) तो कोई ऐसी नोशनल तारीख दर्शाई जाए जो किसी व्यक्ति द्वारा की गई धोखाधड़ी की सबसे पहले की संभाव्य तारीख हो सकती हो (उदाहरणार्थ वर्ष 2002 में हुई किसी धोखाधड़ी के लिए 1 जनवरी, 2002) । विशिष्ट ब्यौरा, जैसे कि वह अवधि, जिसमें धोखाधड़ी की गई, इतिहास / कार्यप्रणाली में दिया जाए ।

8 पता लगने की तारीख़ :यदि वास्तविक तारीख़ का पता न हो (जैसे कि निरीक्षण / लेखा-परीक्षा के दौरान पाई गई धोखाधड़ी के मामले में अथवा धोखाधड़ी का ऐसा मामला जो रिज़र्व बैंक के निर्देशों पर सूचित किया गया हो), तो ऐसी नोशनल तारीख़ दर्शाई जाए, जिस दिन धोखाधड़ी होने का पता चला हो ।

9 भारिबैं को सूचित करने की तारीख़ : सूचित करने की तारीख़ एक समान रूप से वह तारीख़ होनी चाहिए जो फॉर्म एफएमआर-1 में भारिबैं को भेजी गई धोखाधड़ी की विस्तृत रिपोर्ट में दी गई हो न कि किसी फैक्स अथवा अ.शा.पत्र की कोई ऐसी तारीख़ जो इस रिपोर्ट से पहले भेजा गया हो ।

- लेखा-परीक्षा के प्रकार (आंतरिक/सांविधिक/समवर्ती) का स्पष्ट उल्लेख करें ।

एफएमआर - 2

बकाया धोखाधड़ियों से संबंधित तिमाही रिपोर्ट

(पैरा 4.1 देखें)

बैंक का नाम : ______________________________

____________________को समाप्त तिमाही के लिए रिपोर्ट

देशी विदेशी

भाग - क: बकाया धोखाधड़ियां **(राशि लाख रुपयों में)**

श्रेणी	पिछली तिमाही की समाप्ति पर बकाया मामलों की स्थिति		विद्यमान तिमाही के दौरान रिपोर्ट किए गए नए मामले		विद्यमान तिमाही के दौरान बंद किए गए मामले		तिमाही की समाप्ति पर बकाया मामले		वसूली गई कुल राशि	इस तिमाही के अंत में बकाया मामलों के लिए किया गया प्रावधान	विद्यमान तिमाही के दौरान वसूली गई राशि	विद्यमान तिमाही के दौरान बट्टे खाते डाली गई राशि
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं. (2+4+6)	बशि (3+5-7)	राशि	राशि	राशि	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
नकदी												
जमाराशियां - (i) बचत (ii) चालू (iii) मीयादी												

श्रेणी	पिछली तिमाही की समाप्ति पर बकाया मामलों की स्थिति		विद्यमान तिमाही के दौरान रिपोर्ट किए गए नए मामले		विद्यमान तिमाही के दौरान बंद किए गए मामले		तिमाही की समाप्ति पर बकाया मामले		वसूली गई कुल राशि	इस तिमाही के अंत में बकाया मामलों के लिए किया गया प्रावधान	विद्यमान तिमाही के दौरान वसूली गई राशि	विद्यमान तिमाही के दौरान बट्टे खाते डाली गई राशि
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं. (2+4+6)	बशि (3+5-7)	राशि	राशि	राशि	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
अनिवासी खाते												
अग्रिम - (i) नकदी ऋण (ii) मीयादी ऋण (iii) बिल (iv) अन्य												
विदेशी मुद्रा लेन-देन												
अंतर-शाखा खाते												
चेक / मांग ड्राफ्ट, आदि												
समाशोधन, आदि खाते												
तुलन-पत्र से इतर - (i) साख-पत्र (ii) गारंटी (iii) सह-स्वीकृति (iv) अन्य												
अन्य												
कुल												

नोट : वे भारतीय बैंक जिनके विदेश में कार्यालय / शाखाएं हैं, उनके उपर्युक्त आंकड़े देशी स्थिति से संबंधित हैं । उनकी विदेशी शाखाओं / कार्यालयों से संबंधित आंकड़े इसी उपर्युक्त फार्मेट में एक अलग शीट पर दर्शाए जाएं ।

भाग-ख : -तिमाही के दौरान रिपोर्ट की गई धोखाधड़ियों का श्रेणी-वार वर्गीकरण

बैंक का नाम : ---

श्रेणी	दुर्विनियोजन तथा आपराधिक विश्वासघात		धोखे से नकदीकरण/ लेखा-बाहियों में हेराफेरी तथा संपत्ति का परिवर्तन		गैर-कानूनी तुष्टिकरण के लिए अनधिकृत ऋण सुविधा देना		लापरवाही तथा नकदी कम हो जाना		धोखेबाज़ी तथा जालसाज़ी		विदेशी मुद्रा लेनदेनों में अनियमितताएं		अन्य		कुल	
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
एक लाख रुपए से कम																
एक लाख रुपए और उससे अधिक किन्तु 25 लाख रुपए से कम																
25 लाख रुपए और उससे अधिक																
कुल																

भाग -ग : - तिमाही के दौरान रिपोर्ट की गई धोखाधड़ियों का अपराधी-वार वर्गीकरण

बैंक का नाम :---

	स्टाफ		ग्राहक		बाहरी व्यक्ति		स्टाफ तथा ग्राहक		स्टाफ तथा बाहरी व्यक्ति		ग्राहक तथा बाहरी व्यक्ति		स्टाफ, ग्राहक तथा बाहरी व्यक्ति		कुल राशि	
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
एक लाख रुपए से कम																
एक लाख रुपए और उससे अधिक किन्तु 25 लाख रुपए से कम																
25 लाख रुपए और उससे अधिक																
कुल																

नोट : 1. उपर्युक्त श्रेणी-वार वर्गीकरण मुख्यतः भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों पर आधारित है ।

2. सभी राशियां लाख रुपयों में दो दशमलव अंकों तक दर्शाई जाएं ।

प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पिछली तिमाही के दौरान रिजर्व बैंक को रिपोर्ट की गई एक लाख रुपए और उससे अधिक की सभी धोखाधड़ियां बैंक के बोर्ड को भी रिपोर्ट की गई हैं तथा उपर्युक्त भाग क (कॉलम 4 तथा 5) एवं भाग ख तथा ग में शामिल की गई हैं ।

हस्ताक्षरः

नाम तथा पदनामः

स्थानः

दिनांकः

एफएमआर-3

एक लाख रुपए और उससे अधिक राशिवाली धोखाधड़ियों के संबंध में तिमाही प्रगति रिपोर्ट

(पैराग्राफ 4.2 देखें)

बैंक का नाम : ______________________________

.________________. को समाप्त तिमाही के लिए विवरण

(माह, वर्ष)

भाग-क: संक्षिप्त सूचना

अनुक्रमांक और विवरण	**संख्या**	**धोखाधड़ी की राशि (लाख रुपयों में)**
1. बकाया मामले		
2. मामले, जिनमें कोई प्रगति नहीं हुई है (नीचे भाग-ख में दिए हुए फार्मेट के अनुसार मामले-वार ब्यौरे प्रस्तुत करें)		
3. मामले जिनमें प्रगति हुई है (नीचे भाग-ग में दिए हुए फार्मेट के अनुसार मामले-वार ब्यौरे प्रस्तुत करें)		

भाग-ख: जिन मामलों में कोई प्रगति नहीं हुई है उनके ब्यौरे

सं.	**शाखा का नाम**	**धोखाधड़ी सं.**	**पार्टी/खाते का नाम**	**राशि (लाख रुपयों में)**

भाग-ग: प्रगति का मामले-वार ब्यौरा

पार्टी/खाते का नाम : ______________________________.

शाखा/कार्यालय का नाम : ______________________________.

धोखाधड़ी की राशि (लाख रुपयों में) : ______________________________.

धोखाधड़ी मामला सं. :--

1. प्रथम बार सूचना देने की तारीख	
2. (क) सहकार न्यायालय/न्यायालय में वसूली वाद दायर करने की तारीख	
(ख) वर्तमान स्थिति	
3. गत तिमाही के अंत तक की गई वसूलियां (लाख रुपयों में)	
4. तिमाही के दौरान की गयी वसूलियां (लाख रुपयों में)	
(क) संबंधित पार्टी/पार्टियों से	
(ख) बीमा से	
(ग) अन्य स्रोतों से	
5. कुल वसूलियां (3+4) (लाख रुपयों में)	

6. बैंक को हुई हानि (लाख रुपयों में)

7. किए गए प्रावधान (लाख रुपयों में)

8. बट्टे-खाते डाली गई राशि (लाख रुपयों में)

9. (क) पुलिस/अन्वेषण एजेंसी को मामला रिपोर्ट किए जाने की तारीख

(ख) जांच पूरी होने की तारीख

(ग) पुलिस/सीबीआई द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की तारीख

10. स्टाफ पर की गई कार्रवाई

सं.	**नाम**	**पदनाम**	**क्या निलंबन किया गया**	**आरोप-पत्र जारी करने की तारीख**	**आंतरिक जांच प्रारंभ होने की तारीख**	**जांच पूरी होने की तारीख**	**अंतिम आदेश जारी करने की तारीख**	**दिया गया दंड**	**अभियोजन/सज़ा/दोषमुक्त आदि के ब्यौरे**

11. अन्य घटनाक्रम

12. क्या तिमाही के दौरान मामला बंद किया गया — हां/नहीं

13. मामला बंद करने की तारीख

एफएमआर-4

डकैतियां/लूटमार/चोरी/सेंधमारी की रिपोर्ट

(पैराग्राफ - 8 देखें)

बैंक का नाम:---

. _______________________________ . **को समाप्त तिमाही के लिए रिपोर्ट**

(माह, वर्ष)

शाखा का नाम	पता	राज्य	जिला	शाखा का प्रकार[10]	जोखिम वर्गीकरण[11]	क्या करेंसी चेस्ट शाखा है ?	सशस्त्र प्रहरियों की संख्या	मामले का प्रकार[12]	घटना की तारीख तथा समय	धोखाधड़ी की राशि (लाख रुपयों में)	वसूली गई राशि (लाख रुपयों में)	निपटान हुई बीमा-दावा की राशि (लाख रुपयों में)	गिरफ्तारी	
													स्टाफ	लुटेरे
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

मारे गए			घायल		दोष प्रमाणित		अदा किया गया मुआवज़ा (वास्तविक रुपयों में)		की गई कार्रवाई	अपराध सं. तथा पुलिस स्टेशन का नाम, जहां अपराध दर्ज किया गया	कार्य प्रणाली
स्टाफ	लुटेरे	अन्य	स्टाफ	अन्य	स्टाफ	लुटेरे	स्टाफ	अन्य			
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

[10] ग्रामीण/अर्ध-शहरी/शहरी/महानगरीय

[11] उच्च/सामान्य/निम्न

[12] डकैती/लूटमार/चोरी/सेंधमारी